न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 41 / 2024 अपील

1. ओमप्रकाश पुत्र बलदेव जाट निवासी बोरखेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये पटवार हल्का बोरखेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध विरूद्ध आदेश दिनांक 06.08.2024 प्रकरण सख्या 54 / 2024 तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

उपस्थित –

1. श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.02.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम बोरखेडा की आराजी संख्या 871 पर रकबा 0.0350 हैक्ट. भूमि पर अतिकमी मानकर 50 / –रूपये का जुर्माना एवं बेदखली का आदेश किया हैं जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 06.08.2024 का जारी किया गया। दिनांक 06.08.2024 को अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही उसी दिन आदेश पारित कर दिया गया, जबकि इस संबंध में पटवारी हल्का के कोई बयानात आदि नही लिये गये। वादग्रस्त आराजियात जो कि आबादी भूमि के सटमा हैं तथा उस पर अपीलाण्ट का कब्जा काफी लम्बे समय से

उपलब्ध पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बोरखेडा की आराजी संख्या 871 रकबा 0.0350 हैक्ट. पर अपीलार्थी को अतिक्मी मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर प्रथम सुनवायी दिनांक 06.08.2024 को ही अपीलाण्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जल्दबाजी में निर्णय पारित किया जाना दृष्टिगोचर होता हैं, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 54 / 2024 निर्णय दिनांक 06.08.2024 विधि विरूद्व होने से व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य ठहरता हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 54 / 2024 निर्णय दिनांक 06.08.2024 विधि विरूद्व होने से व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलाण्ट की विधिवत सुनवायी की जाकर एवं समस्त दस्तावेजात एवं परिपत्रों का पूर्ण परीक्षण किया जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)